

स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

(पीवासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - शेखिया.....)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 303/25

दायर दिनांक 27/09/2025

निर्णय दिनांक 27/09/2025



क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>शेखिया</u>	<u>(43)</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यापीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>शेखिया</u> प.ह. <u>नेरिया</u> खालास <u>143</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी	
			स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया	
			<u>शेखिया</u>	<u>शेखिया</u>	
			हस्ताक्षर निरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	
			<u>शेखिया</u>	<u>शेखिया</u>	

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल शेखिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चितौडगढ

तहसीलदार कपासन
तहसीलदार (भू.अ.) कपासन